



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 1992/वैशाख 23, 1914  
No. 286] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 1992/VAISAKHA 23, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय  
(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का. आ. 329(अ) - केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 439(अ), तारीख 12 जून, 1989 का निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :-

विनियम 32 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु जहां सभी या कोई दस्तावेज उसके कब्जे में नहीं है वहां वह दस्तावेज का/के सार जो किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित हों व्यक्तिगत रूप से पेश



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 1992/वैशाख 4, 1914  
No. 255] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 1992/VAISAKHA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय  
(परिवहन खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1992

का. आ. 294(अ) :- केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग, III, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 30 अगस्त, 1989 में प्रकाशित भारत

करेगा या उस अधिकाारी के पास जो दस्तावेजों की मांग करता है, रजिस्ट्रार द्वारा मांग करने के 15 दिन के भीतर भेज देता।

[फा. सं. आर. टी - 11028/6/91 - एम की एल]  
जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 329(E).—In exercise of the powers conferred by Section 118 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment to the Notification No. S.O. 439(E) dated 12th June, 1989 published in Government of India Gazette Extraordinary Part II, Section 3, sub-section (ii), namely :

“The following proviso shall be added at the end of Regulation 32, namely :—

Provided that where any or all of the documents are not in his possession, he shall produce in person an extract or extracts of the documents duly attested by any police officer or by any other officer or send it to the officer who demanded the documents, by registered post, within 15 days of the demand.

[File No. RT-11028/6/91-MVL]

G. K. PILLAI, Jt. Secy

सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन खंड) की अधिसूचना का. आ. सं. 680 (अ) तारीख 30 अगस्त, 1989 का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, “(छ) और (ड)” कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किय जाएगा।

[फा. सं. आर टी - 11014/7/89 - एम की एल]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 1992

S.O. 294(E).—In pursuance of the provision of sub-section (3) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Transport Wing), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 30th August, 1989, S.O. No. 680(E), dated the 30th August, 1989, namely :—

In the said notification brackets and letters ‘(g) and (m)’ shall be omitted.

[File No. RT-11014/7/89-MVL]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.